हिन्दुस्तान
शहर चुनें
Offer
ई-पेपर
होम न्यज ब्रीफ फोटो वीडियो देश राज्य मनोरंजन करियर IPL क्रिकेट विदेश

नजरिया

सप्ताह में सिर्फ चार दिन काम का मतलब

नवीन कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर, बिमटेक, ग्रेटर नोएडा
Published By: Manish Mishra

Wed, 10 Feb 2021 09:41 PM

ऐप पर पढ़ें

हिन्दुस्तान शहर चुनें Offer ई-पेपर

होम न्यज ब्रीफ फोटो वीडियो देश राज्य मनोरंजन करियर IPL क्रिकेट विदेश

कामगार अपने घर-परिवार को पूरा वक्त दे सकेगा। इससे उसकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। मानव विकास सूचकांक पर भी इसका असर दिखता है। हालांकि, एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि अगर कार्यस्थल पर ही कामगारों को सुकून के कुछ वक्त मुहैया करा दिए जाएं, तो मौजूदा आठ घंटे के कामकाज में भी उनकी कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है।

बहरहाल, इस प्रावधान की जरूरत इसलिए भी महसूस की गई होगी कि कोविड-19 कोई आखिरी संक्रामक वैश्विक महामारी नहीं है। हर सौ साल में एक नई महामारी का हमने मुकाबला किया है। 1918-20 के स्पैनिश फ्लू ने जान-माल का काफी नुकसान किया था। ऐसे में, माना जा रहा है कि 'वर्क फ्रॉम होम' की नई संस्कृति आगे भी बरकरार रह सकती है। शायद इसीलिए साढ़े चार दिन कामकाज की वकालत की जा रही है, जिसमें कोई कामगार 10-10 घंटे के हिसाब से चार दिन कार्यस्थल पर काम करेगा और पांचवे दिन घर से अपनी यह जिम्मेदारी निभाएगा। सबसे बड़ी बात, कार्यस्थल पर 'हैप्पीनेस' बढ़ाने यानी कामकाज में तनाव घटाने को लेकर दुनिया भर की सरकारें संजीदा हैं। भूटान ने तो इस बाबत नई नीति भी बनाई है। चार दिनी कामकाज से कामगारों में हैप्पीनेस बढ़ सकती है, जिसका सकारात्मक असर सेहत पर पड़ेगा और कामकाजी तनाव से वे आसानी से पार पा सकेंगे। फिर भी, इस प्रावधान में कुछ अड़चनें हैं। मसलन, अपने यहां फैक्टरी ऐक्ट- 1948 में 48 घंटे साप्ताहिक काम की वकालत की गई है। नए श्रम कानूनों के नियमों में इस अवधारणा पर गौर करना चाहिए। इस कानून का एक प्रावधान यह भी कहता है कि कामगारों से रोजाना आठ से नौ घंटे काम लिया जा सकता है, और विशेष परिस्थिति में अल्पकालिक अवकाश यानी इंटरवल सहित इसे 10.30 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। अब अगर इन प्रावधानों के तहत प्रस्तावित नीति की पड़ताल करें, तो चार दिन में कामगारों को रोजाना 12-12 घंटे काम करना होगा, तभी वह साप्ताहिक 48 घंटे का काम कर सकेंगे। जाहिर है, रोजाना इतने घंटे कार्यस्थल पर गुजारना व्यावहारिक नहीं है। लिहाजा, मजदूर संघों के आग्रह पर हमें गौर करना होगा। फिर, नए कानून इसलिए बनाए जा रहे हैं, ताकि कामगारों का तनाव घटाया जाए, लेकिन 12 घंटे के काम में कर्मचारियों पर दबाव ही बढ़ेगा। इतना ही नहीं, महानगरों में कार्यस्थल तक पहुंचने में कामगारों को घंटे-दो घंटे का वक्त अतिरिक्त लगता है, लिहाजा साप्ताहिक काम के घंटे कम करने जरूरी होंगे। उसे अधिकतम 10 घंटे रोजाना किया जा सकता है। ऐसी सूरत में साढ़े चार दिन के कामकाज का प्रावधान ही उचित जान पड़ता है। दरअसल, कार्यस्थल पर हैप्पीनेस अनिव

ऐप पर पढ़ें

जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश इस पर लगातार काम कर रहे हैं। इनका मानना है कि कोई भी इंसान अपने जीवन का ज्यादातर वक्त कार्यस्थल पर गुजारता है, पर ज्यादा तनाव भी उसे यहीं मिलता है। इसलिए इस तनाव को घटाना जरूरी है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 12 घंटे रोजाना काम करने संबंधी अवधारणा थी, पर उस दौर में क्रांति के बीज भी कामगारों के इसी तनाव से फूटे थे। फिर, कंपनियों ने कोरोना काल में यह महसूस किया है कि कर्मचारियों को कुछ काम घर से किए जाने की छूट मिलनी चाहिए। इससे कंपनियों की लागत बचती है। मगर यह 'न्यू नॉर्मल' ऐसा होना चाहिए कि कामगारों की हैप्पीनेस प्रभावित न हो। कार्यक्षेत्र में कर्मचारी की भागीदारी से ही उसकी मौलिक भौतिक जरूरतें पूरी होती हैं। इस भागीदारी में उसे मिलने वाला तनाव या सुख उसकी जीवनशैली को प्रभावित करता है। औद्योगिकीकरण के बाद के दौर में इस सोच को महत्व मिला। ऐसे में, कामकाज के तनाव को हम जितना कम कर सके, उतना

हिन्दुस्तान

शहर चुनें Offer ई-पेपर

होम न्यज ब्रीफ फोटो वीडियो देश राज्य मनोरंजन करियर IPL क्रिकेट विदेश

इस आर्टिकल को शेयर करें

Najariya Hindustan Column

अगला लेख

आखिर जीएसटी से बाहर क्यों रहे पेट्रोल-डीजल

लाइव हिन्दुस्तान **टेलीग्राम** पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं?
हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें।

सब्सक्राइब करें हिन्दुस्तान का डेली न्यूज़लेटर

आपका ईमेल सब्सक्राइब

ऐप पर पढ़ें

अपडेट रहें हिंदुस्तान ऐप के साथ ऐप डाउनलोड करें

संबंधित खबरें

हिन्दुस्तान

शहर चुनें Offer ई-पेपर

होम न्यज ब्रीफ फोटो वीडियो देश राज्य मनोरंजन करियर IPL क्रिकेट विदेश

विज्ञापन

इन्हें भी पढ़ें

रनआउट होने पर साथी बल्लेबाज को बैट दे मारा, पीटरसन ने शेयर किया वीडियो

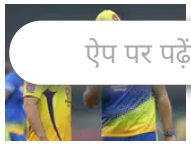

IPL 2021: दीपक और रायुडू की चोट पर हेड कोच फ्लेमिंग ने दिया अपडेट

ऐप पर पढ़ें

IPL 2021: विराट के कप्तानी छोड़ने के फैसले पर गंभीर ने ऐसे किया रिऐक्ट

IPL: चाहर ने दी थी ऋतुराज को धमकी, ऐसा करके नहीं आया तो करूंगा कुटाई

विज्ञापन

ट्रेंडिंग टॉपिक

#चरणजीत सिंह चन्नी #बिहार पंचायत चुनाव 2021 #कैप्टन अमरिंदर सिंह #विराट कोहली #पितृ पक्ष 20

लोकप्रिय खबरें

सोमवार के दिन इन राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ

इस सप्ताह इन राशि वालों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन संभव

राशिफल
मिलेगा ₹

सब्सक्राइब करें हिन्दुस्तान का डेली न्यूज़लेटर

ऐप पर पढ़ें

आपका ईमेल सब्सक्राइब

Follow Us

Download Live Hindustan APP and read premium stories

GET IT ON Google Play Download on the App Store

हिन्दुस्तान

शहर चुनें Offer ई-पेपर

होम न्यज ब्रीफ फोटो वीडियो देश राज्य मनोरंजन करियर IPL क्रिकेट विदेश

प्रमोशनल ई - पेपर एन सी आर

उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड

ब्रांड पोस्ट

Section: Hindi News | Cricket News | Sports News | Career News | Bollywood News | Health News | Business News | Rashifal

Latest News: National News | World News | Delhi News | UP News | Bihar News | Uttrakhand News | Jharkhand News | Rajasthan News | MP News | Maharashtra News | Haryana News | Chhattisgarh News | Himachal Pradesh News

Trending: Popular News | Must Read | Breaking News | Jokes

Advertise with us | About us | Careers | Privacy | Contact us | Sitemap | Code Of Ethics

ऐप्स | आरएसएस | विज्ञापन रेट | हमारे साथ काम करें | हमारे बारे में | संपर्क करें | गोपनीयता | अस्वीकरण | साइट जानकारी | आर्काइव

Partner sites : Hindustan Times | Mint | Desimartini | Shine | HT Bangla | HT Auto | Healthshots | HT Smartcast

Copyright © 2021 HT Digital Streams Limited. All RightsReserved.

ऐप पर पढ़ें